

UJ-91  
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा  
विशेष पत्र वाहक / ई-मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
9वाँ तल, सी - विंग दिल्ली सचिवालय,  
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ.53(....9...)/ अता. / ता प्र.सं.91/ द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग-2022/ दिविस/ श.वि./ 1309-11 दिनांक: 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),  
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,  
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय:- दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित / अतारांकित प्र. स. 91 माननीय  
विधायक श्री..... दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

कुमारी आवना गौर

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्घृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ, माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप-सचिव ( संसदीय शाखा )

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली।
- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ सहित।

उप-सचिव ( संसदीय शाखा )

**शहरी विकास विभाग**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार**  
९वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्ड्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री भावना गौड़

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अंतारांकित प्रश्न संख्या : 91

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली वो सड़कें जो एमसीडी के अंतर्गत आती हैं उन सड़कों के फुटपाथ पर स्थाई अथवा अस्थाई ढाँचे बनाये गये हैं;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाली जो सड़कें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती हैं उन सड़कों के फुटपाथों पर यदि स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण संज्ञान में आता है तो उस पर डीएमसी एकट, 1957 के प्रवधानों अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है।
ख	इनमें कितने स्थाई हैं तथा कितने अस्थाई, पूर्ण विवरण दें।	इस तरह का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।
ग	क्या फुटपाथ पर स्थाई अथवा अस्थाई ढाँचे लग सकते हैं;	डीएमसी अधिनियम 1957 के खण्ड 317 के अनुसार सार्वजनिक जगह पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण निषेध है।
घ	यदि नहीं, तो यह किसकी अनुमति से लगे हैं;	
ङ	क्या यह फुटपाथ पर पैदल पथिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं है; और	
च	यदि हां, तो इन्हें हटाने की सरकार की क्या योजना है और यह कितने निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हटा दिये जाएंगे?	



Dy. Secretary (U.D./P.C.)  
 Govt. of N.C.T. of Delhi  
 Delhi Secretariat  
 I.P. Estate, New Delhi-02